सम्प्रभुता : अद्वैतवाद और बहुलवाद

* "प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसे कानून द्वारा बाधित या सीमित न किया जा सके।"

जीन बोदाँ

* "सर्वशक्तिमान होने के कारण राज्य अक्षम बन गया है।"

मैकाइवर

* बोदां के अनुसार, "प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसे कानून द्वारा बाधित या सीमित न किया जा सके।"
* बोदां के लगभग पचास वर्ष बाद ग्रोशस ने प्रभुसत्ता की परिभाषा इस प्रकार की है- "प्रभुसत्ता वह सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य किसी अन्य के अधीन नहीं होते और जिसकी इच्छा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।

* आधुनिक विद्वानों में ऑस्टिन, ब्लैकस्टोन तथा हॉब्स द्वारा प्रभुसत्ता की दी गयी परिभाषा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अंग्रेज विधिशास्त्री जॉन ऑस्टिन के अनुसार, "यदि कोई श्रेष्ठ मानव जिसे इसी प्रकार के किसी अन्य विशिष्ट मानव के आदेशों का पालन करने की आदत न हो, समाज के अधिकांश लोगों से स्वाभाविक रूप से अपनी आज्ञाओं का पालन करा लेता हो तो वह श्रेष्ठ मानव उस समाज का सम्प्रभु माना जायेगा और वह समाज एक राजनीतिक व स्वाधीन समाज होगा।
* ब्लैकस्टोन ने प्रभुसत्ता को 'सर्वोच्च, बेरोक-टोक और अनियंत्रित सत्ता माना है।

Scanned By Scanner Go

- हॉलैण्ड ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ द एलीमेण्ट्स ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस में कहा है कि - " राज्य का वह अंग जिसे प्रभुत्व सम्पन्न कहा जाता है, सर्वशक्तिमान होता है क्योंकि वह स्वयं सभी कानूनों का स्रोत है, इसलिए उसके कृत्य गैर - कानूनी नहीं हो सकते। सिद्धान्त रूप में न ही वे असंवैधानिक करार दिये जा सकते हैं।
- प्रभुसत्ता के दो पहलू होते हैं।

(1.) आन्तरिक प्रभुसत्ता - आन्तरिक प्रभुसत्ता से आशय है कि - " राज्य की सीमाओं के अन्तर्गत जो भी प्रदेश हो, उन प्रदेशों में जो भी पदार्थ हो और वहाँ जो मनुष्य व जनसमुदाय निवास करते हो, वे सभी प्रभुसत्ता के नियंत्रण में रहे, सिवाय उन व्यक्तियों अथवा पदार्थों के जिन्हें कि राज्य ने जान बुझकर अपने अधिकार व नियंत्रण से बाहर रखा है।

Pol. Sc (H)
Part - I
Paper - I

Dr. Rama kant Pandey
S.R.A.P. College
Bara chakiya
East champaran.

Scanned By Scanner Go